न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–134/2008

CIS NO. PS-195/2018

ललन सिंह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मृतक सत्यदेव सिंह के विधिक वारिसान एवं अन्य.....................................प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 शारदा कौर की मृत्यु दिनांक 02.08.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 शारदा कौर के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे तीन पुत्र अनिल कुमार सिंह, अरविन्द कुमार सिंह एवं राजीव कुमार सिंह तथा दो पुत्री रानी देवी एवं रंजू देवी को छोड़कर मरी है जो पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थातिप प्रतिवादी है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 शारदा कौर का नाम कलमजद करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 शारदा कौर की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 शारदा कौर का नाम कलमजद करें।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–134/2008</u>

<u>CIS NO. PS-195/2018</u>

ललन सिंह एवं अन्य..वादीगण

बनाम

मृतक सत्यदेव सिंह के विधिक वारिसान एवं अन्य......................................प्रतिवादीगण

लगातार **06.02.2024**	वाद दिनांक 11.03.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	